

अपीलकर्ता : श्री नरेश चन्द त्यागी
आर.टी.आई कम्प संख्या : 10564-के दिनांक 09/12/2022
अपील कम्प संख्या : 008 दिनांक 13/02/2023

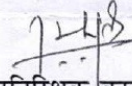
आर.टी.आई. आवेदन, जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक(प्रथम)- कारागार मुख्यालय, तिहाड़ व जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक, कारागार संख्या-(01) द्वारा प्रदान किये गये ज्ञापन और प्रथम अपील का अवलोकन किया। अपील के माध्यम से अपीलकर्ता ने जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक, कारागार संख्या-(01) के द्वारा प्रदान किए गए ज्ञापन पर असंतुष्टि दर्ज की है।

दस्तावेजों के अवलोकन से पता चलता है कि जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक, कारागार संख्या- (01) के द्वारा प्रदान किया गया ज्ञापन संतोषजनक है। अतः ज्ञापन में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

यद्यपि, जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक कारागार संख्या-1 के द्वारा अपीलकर्ता को इस संबंध में दो बार पहले भी ज्ञापन दिया जा चुका है बावजूद इसके अपीलकर्ता पुनः समान प्रश्नों के साथ आर.टी.आई एक्ट 2005 के अन्तर्गत आवेदन करके जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक के संसाधनों को प्रभावित कर रहा है। अतः अपीलकर्ता को माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के आदेश संख्या-सी.आई.सी/ए.एल.डी. एम.यू./ए/2017/102135 दिनांक 24.4.2017 के अनुसार सूचित किया जाता है कि एक नागरिक को समान प्रकार की सूचना की जानकारी हेतु आवेदन को बार बार नहीं दोहराना चाहिए।

तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

यदि अपीलकर्ता आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह 90 दिनों के भीतर माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबागंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110067 के समक्ष दूसरी अपील कर सकता है।

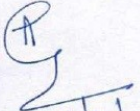

उप महानिरीक्षक कारागार/
प्रथम अपीलीय अधिकारी

श्री नरेश चन्द त्यागी

F10(3476489)/ID-10564-K/CJ/Legal/2023/15610/1678-80 Dated: 06/03/2023

आवश्यक सूचना के लिए प्रतिलिपि:-

1. जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-कारागार संख्या-01, तिहाड़, नई दिल्ली-110064.
2. जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक (प्रथम), कारागार मुख्यालय, तिहाड़, नई दिल्ली-110064.


07/3/23

AP10

80/140
1/13